

फर्द अहकाम


रामजीवन

बनाम

हरफुल वगै०

यालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

सं० 29/2024

सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28.03.2024	<p>अधिवक्ता श्री मदन लाल कुमावत द्वारा वाद बावत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजि० एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 25.04.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जोधपुर, जयपुर                 </p> <p>पत्रावली पेश हुई। P.O. ला. अतः पत्रावली पेश है। अतः पूर्व आदेशों पर दिनांक 26/6/24 को पेश हो।</p>	<p>सं० 29/24</p> <p>Des No. 1</p> <p>राजपूत</p> <p>4341111111</p> <p>2</p> <p>रामजीवन</p> <p>सं० 29/24</p> <p>4341111111 (रजि०)</p> <p>5/5/24</p>
	21/5/24	<p>अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पर पल्लुत करने पर पत्रावली तलवी की गयी। वादी सच अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पर इस मामले का पेश किया गया कि वादी अपने वाद को भौत खताना नहीं चाहता। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद किर्तों करने की अनुमति उदान करने हेतु निवेदन किया। वाद किर्तों करने की अनुमति दी गयी। किर्तों प्रार्थना पर के आधार पर वाद पर शरिद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फौजल अन्तार होकर नबरे से नाम होकर दफ्तर लाखित हो।</p>	

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जोधपुर, जयपुर